unacademy

Discussion on 2nd ARC Report

Discussion on 2nd ARC Report

Lesson 1 • Nov 30, 2019 • Ankit Kumar

Governance (शासन)

अंकित कुमार

28.7k
views

5 ★

Ankit Kumar

Educator since May 2019

Founder of CSEUPSC.COM

Youtube - UPSC LIFE

Two times appeared in Civil Services Main exam.

Two Year Teaching Experience.

1.4k Followers | 4 Following | 7 Courses

Message

unacademy

All live & structured courses | Lessons by all top Educators | Weekly quizzes & doubt-clearing

Ankit Kumar

Use referral code - ankitoct2012

Get 10% Discount

लोकतंत्र की संकल्पना एवं विकास

(Concept and Development of Democracy)

❖ लोकतंत्र शब्द का अंग्रेज़ी पर्याय 'डेमोक्रेसी' (Democracy) है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द 'डेमोस' से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है- 'जनसाधारण' और इस शब्द में 'क्रेसी' शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ 'शासन' होता है। इस प्रकार डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है- 'जनता का शासन'। प्राचीन यूनानी चिंतक वलीयान ने लोकतंत्र की परिभाषा इसी आधार पर दी है कि "लोकतंत्र वह होगा जो जनता का हो, जनता के द्वारा हो तथा जनता के लिये हो।" अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था "लोकतंत्र जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा शासन है।"

अंकित कुमार

- 18वीं शताब्दी में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) तथा फ्राँसीसी क्रांति (1789) आधुनिक लोकतंत्र के विकास का प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण माने जाते हैं। जहाँ फ्राँसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा देकर लोकतंत्र को प्रतिष्ठित किया,वहीं 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी लोकतंत्र के विचार को लोकप्रिय बनाया।]
- 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र को कल्याणकारी राज्य के साथ जोड़ा गया तथा सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके इसे संपूर्ण जनता द्वारा शासन में बदला गया।
- सामान्यतः लोकतंत्र-शासन व्यवस्था दो प्रकार की मानी जाती है- प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।

अंकित कुमार

- जिस शासन व्यवस्था में देश के समस्त नागरिक प्रत्यक्ष रूप से राज्यकार्य संपादन में भाग लेते हैं, वह शासन व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में लोकहित के कार्यों में जनता से विचार-विमर्श के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाता है, उदाहरण के लिये स्विट्ज़रलैंड का लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है, जिसमें जनभावना की अभिव्यक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। जनता शासन व्यवस्था एवं कानून निर्धारण में भाग नहीं लेती अर्थात जनता स्वयं शासन न करते हुए निर्वाचन पद्धति के द्वारा चयनित शासन प्रणाली के अंतर्गत निवास करती है।

अंकित कुमार

लोक सेवाओं का विकास

(Development of Civil Services)

- लोक सेवाओं का प्रारंभ प्राचीन काल में राजाओं द्वारा अपने शासन संचालन के लिये कर्मचारी रखने की पद्धति से हुआ था। प्रारंभ से ही इसका कार्य शासन द्वारा लक्षित कार्यों को पूरा करने से रहा है। लोक सेवाओं का आधुनिक स्वरूप 18 वीं शताब्दी के अंत में सामने आया जिसमें बढ़ती जनसंख्या, उत्पादन तथा व्यापार, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, औद्योगिक नगरों का विकास. मध्यम वर्ग का बढ़ता सामाजिक महत्त्व तथा राजतंत्र के पतन ने मुख्य भूमिका अदा की। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था तक की पूरी विकास यात्रा में जैसे-जैसे शासन का स्वरूप बदला वैसे-वैसे सिविल सेवा का भी स्वरूप बदलता गया।

अंकित कुमार

राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में इसकी भूमिका सीधे शासित वर्ग के हितों की पूर्ति तक ही सीमित थी. जनता के हितों की पूर्ति से इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं था। इसलिये लोक उत्तरदायित्व की भावना का प्रायः अभाव ही पाया जाता था। परंतु आधुनिक शासन व्यवस्था लोगों की इच्छा पर निर्भर करती है, इसलिये लोक उत्तरदायित्व शासन तथा प्रशासन दोनों का ही मुख्य चरित्र होता है।

- लोक सेवा जो कि नौकरशाही के द्वारा परिचालित होती है, लोकतंत्र की मुख्य वाहक है। वस्तुतः लोकतंत्र में लोक नीति-निर्माण का कार्य विधायिका करती है किंतु इन नीतियों या कानूनों के क्रियान्वयन का दायित्व सिविल सेवा का होता हैं।

अंकित कुमार

भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका
(Role of Civil Servants in Indian Democracy)

- भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

1) नीतियों का क्रियान्वयन
2) नीति-निरूपण
3) प्रत्यायोजित विधायन
4) प्रशासनिक निर्णयन

अंकित कुमार

अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका

(Role of All India Services)

- किसी संसदीय प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित करती है। इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन और प्रशासन की ज़िम्मेदारी सिविल सेवकों के बहुत बड़े निकाय पर होती है, जो अपने प्रशिक्षण और व्यावसायिक अनुभव के द्वारा सरकार के वास्तविक कार्यकरण की ज़िम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। नीचे दिये गए विभिन्न तरीकों से भारत में अखिल भारतीय सेवाएँ अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं-
- ये सेवाएँ देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं। इन सेवाओं में शामिल सदस्य जनहित संबंधी समस्याओं और मामलों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग, समन्वयन एवं संपर्क तथा संयुक्त कार्यवाही को सरल बनाते हैं।

अंकित कुमार

- ये सेवाएँ संपूर्ण देश की प्रशासनिक प्रणाली में एकरूपता का निर्माण करती हैं।
- इन सेवाओं के सदस्यों द्वारा भारतीय स्तर का दृष्टिकोण रखने के कारण देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इनसे जुड़े सदस्य अपने मूल राज्य से बाहर पदस्थ रहकर क्षेत्रीयता, भाषायी एवं सांप्रदायिक हितों से परे होकर कार्य करते हैं।
- केंद्र एवं राज्य दोनों में इन सेवाओं से जुड़े सदस्य प्रशासनिक कुशलता के माध्यम से प्रशासन के उच्च स्तर को बनाए रखने में मददगार होते हैं।

अंकित कुमार

- संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होने के कारण इन सेवाओं के सदस्य क्षेत्रीय तथा स्थानीय दबाव से मुक्त होते हैं जिससे इनके द्वारा उच्च स्तर पर लोक सेवा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रोत्साहन मिलता है।
- चूँकि इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र एवं राज्यों के साथ केंद्र शासित राज्यों और स्थानीय सरकारों के अधीन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है, इसी कारण ये सदस्य विभिन्न राज्यों के मध्य प्रचुर अनुभव के आदान-प्रदान को सरल बनाते हैं।
- जिन राज्यों में उच्च और महत्त्वपूर्ण पदों पर भर्ती हेतु जन-बल की कमी है, उन्हें इन सेवाओं से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है।

अंकित कुमार

भारत में सिविल सेवाओं से जुड़ी समस्याएँ

(Problems Related to Civil Services in India)

- प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के सर्वेक्षण के अनसार 33 प्रतिशत सिविल सेवक अपनी सेवा से असंतुष्ट हैं। यह असंतुष्टि सियासी दाँव-पेंच, भ्रष्टाचार, पदोन्नति एवं पोस्टिंग में भेदभाव आदि से उत्पन्न होती है। राजनीतिज्ञा ने सिविल सेवकों को अपने अनुसार इस्तेमाल करने के लिये उन्हें जातिवादी व सांप्रदायिकतावादी भी बना दिया है।
- वर्तमान में इनके कार्य निष्पादन के संबंध में कुछ समस्याएँ उजागर हुई हैं जो निम्नलिखित हैं-

अंकित कुमार

- सेवाओं में परिणामोन्मुखता की बजाय स्थापित प्रक्रियाओं के कठोर अनुसरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- आर्थिक संवृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरण अवक्रमण तथा तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन के इस दौर में सिविल सेवाएँ आधुनिक आवश्यकताओं के प्रति तीव्र गति से अनुकूलित नहीं हो पा रही हैं।
- इन सेवाओं में कठोर पदानुक्रम, प्रणालीगत जड़ता और अधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण यथास्थितिवाद को बढ़ावा मिला है।
- सिविल सेवकों के उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।
- सिविल सेवाएँ सामान्य सेवाएँ बनकर रह गई हैं, जो वर्तमान कटिंग एज (Cutting edge) तकनीक के युग में उपयुक्त नहीं हैं।

अंकित कुमार

स्वतंत्रता के बाद भारत में सिविल सेवा में सुधार के प्रयास
(Efforts to Reform Civil Services in India After Independence)

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित रिपोर्ट (Report Related to the First Administrative Reform Commission)

- स्वतंत्रता के उपरांत भारत की शासन व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित हो गई, जो लोक-कल्याण के आदर्शों से प्रेरित है। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लोक सेवकों की भूमिका के संदर्भ में प्रथम प्रशासनिक आयोग ने निम्नलिखित तथ्य रेखांकित किये थे-

अंकित कुमार

- राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित करना और प्रशासन के एकरूपी मानकों (Uniform Standards of Administration) को सुनिश्चित करना।
- प्रशासन में तटस्थता और वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करना, साथ ही प्रशासन को गैर-राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष और गैर-सांप्रदायिक दृष्टिकोण प्रदान करना।
- योग्यता, दक्षता और पेशेवर दृष्टिकोण वाले उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करना ताकि प्रशासन में दक्षता आ सके।
- सिविल सेवकों में अक्षुण्णता (Integrity) और आदर्शवाद (Idealism) स्थापित करना।

अंकित कुमार

- प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय सिविल सेवा व प्रशासकों को निम्नांकित क्षेत्रों में विशिष्टता अर्जित करने की अनुशंसा की-

- **आर्थिक प्रशासन**
- **कृषि व ग्रामीण विकास प्रशासन**
- **कर्मचारी प्रशासन**
- **प्रतिरक्षा प्रशासन एवं आंतरिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक प्रशासन**
- **सामाजिक और शैक्षणिक प्रशासन**
- **वित्तीय प्रशासन**
- **नियोजन**

अंकित कुमार

- नोट- प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ। 1967 में मोरारजी के उपप्रधानमंत्री बनने के बाद के. हनुमतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
- वर्तमान समय में प्रदूषण, खाद्य असुरक्षा व बीमारियाँ, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्गेनिज्म, जोखिम भरे अपशिष्ट, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, जैव-विविधता क्षरण, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण जैसे क्षेत्रों ने एक दक्ष व विशेषज्ञ सिविल सेवा की अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है।

अंकित कुमार

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित रिपोर्ट (Reports Related to the Second Administrative Reform Commission)

- सूचना का अधिकार
- सामाजिक पूंजी
- मानव संपदा का व्यापक विस्तार
- कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन
- संकट प्रबंधन
- ई-शासन को बढ़ावा देना
- शासन में नैतिकता
- नागरिक-केंद्रित प्रशासन

अंकित कुमार